II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. ....5....of 2021....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13.05.2025	डिक्रीदार की ओर से श्री राजकुमार यादव अधिवक्ता एवं कंपनी के लीगल एडवाईजर विवेक पाठक उपस्थित। मदियून संतोष मिश्रा एवं मनोज मिश्रा सहित श्री धर्मेन्द्र त्रिपाठी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण आज जेल से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु नियत है। जेल से जानकारी प्रस्तुत, संलग्न की गई। उभयपक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण मे मदियून मूल राशि 1,39,000/— रुपये 04 माह के भीतर कंपनी/डिक्रीदार को अदा कर देंगे तथा ब्याज के संबंध मे कंपनी जयपत्रधारी एवं मदियून पृथक से राजीनामा कर राशि अदा करेगा। यदि 04 माह के भीतर मदियूनगण द्वारा उक्त राशि डिक्रीदार को अदा नहीं की जाती है तो डिक्रीदार मय ब्याज के राशि वसूली करने का अधिकारी है, इस संबंध मे डिक्रीदार कंपनी पुनः निष्पादन कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर सकेगी। उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रस्तुतकार प्रकरण को व्यवस्थित कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार करें। 13/05 (विवेक कुमार गुप्ता) अध्यक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उमरिया म0प्र0	संतोष मिश्रा मनोज कुमार मिश्रा (विवेक पाठक)